न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकर नगर।

UPAN010007732026

Criminal Misc. Cases/41/2026

नन्दलाल बनाम उमेश कुमार आदि
थाना बसखारी, अम्बेडकर नगर।

11.03.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी नन्दलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत् धारा–173(4) बी.एन.एस.एस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी अनुसूचित (चमार) जाति का व्यक्ति है एवं छत लादने व चुनाई तथा सेटरिंग का कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी व प्रार्थी का लड़का स्वामी दयानन्द द्वारा दिनांक 5–12–2025 को उमेश कुमार पुत्र अनिरूद्ध उपाध्याय निवासी ग्राम करमैनी थाना जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर हाल वारिद पता ग्राम भिटौरा उत्तर थाना बसखारी जिला अम्बेडकरनगर के यहां सेटरिंग का काम करने के लिए अपना सारा सेटरिंग का सामान व कटर मशीन, कन्नी, साहुल 4 पीस जम्बुरा व हथौड़ी फीता आदि सामान लेकर कार्य पूरा किया, जो 32,000/–रू0 मजदूरी पर तय हुआ था। सटरिंग का काम पूरा होने पर प्रार्थी व प्रार्थी का लड़का स्वामी दयानन्द दिनांक 16–12–2026 को विपक्षी उमेश कुमार उपाध्याय के घर भिटौरा उत्तर गये और तय शुदा मजदूरी मु0 32,000/–रू0 की मांग किये इतने मे विपक्षी उमेश कुमार उपाध्याय प्रार्थी व प्रार्थी के लड़के को मां बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए अपमानित किए और मजदूरी देने से इंकार कर दिये। प्रार्थी सेटरिंग का सामान लगभग चार लाख रूपये का जो लखनऊ से लाया था, विपक्षी प्रार्थी की न तो मजदूरी दिया और सेटरिंग का सामान वापस करने से इंकार कर दिया, जिसके सदमे मे प्रार्थी के लड़के स्वामी दयानन्द की मृत्यु उसी रात में हो गयी। प्रार्थी व उसका परिवार पुत्र विलाप से व्यथित था, पुत्र के क्रिया–कर्म होने के उपरांत प्रार्थी अपना सेटरिंग का सामान लेने हेतु उमेश कुमार उपाध्याय के यहां गया और सामान के संबंध में बात किया तो उमेश उपाध्याय प्रार्थी का सामान वापस करने से इंकार करते हुए प्रार्थी को गालियां देते हुए जाति सूचक शब्द से अपमानित किए और सेटरिंग का सामान खुलवाकर उन्हीं के गांव के रहने वाले खुशहाल कपिल देव व अनीता को दे दिया, जिन्होंने ले जा करके प्रार्थी का सारा सामान निवासी ग्राम मनिकापुर थाना जलालपुर अम्बेडकर नगर के रहने वाले रामकिशन के यहां सेटरिंट का काम किये, जब प्रार्थी रामकिशन से सेटरिंग के सामान के संबंध में पूछतांछ किया तो रामकिशन, खुशहाल, कपिलदेव व अनीता को बुलाकर सेटरिंग के सामान के बावत मे पूछतांछ किया तो विपक्षीगण खुशहाल, कपिल देव व अनीता भी प्रार्थी को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिये तथा प्रार्थी का सामान देने से इंकार कर दिये। प्रार्थी घटना के संबंध में उसी दिन प्रार्थना पत्र स्थानीय थाना बसखारी मे प्रार्थना पत्र दिया। विपक्षीगण थाने आये थाने की पुलिस के सामने सामान देने के लिए तैयार हो गये, परन्तु घर पहुंचने पर सामान देने से इंकार कर दिये। प्रार्थी अपनी मजदूरी व सेटरिंग के सामान के संबंध मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिया तथा उच्चाधिकारियो को घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया तथा पुनः दिनांक 10/2/2026 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.11 17:52:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अम्बेडकर नगर जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया आज तक कोई कार्यवाही न होने पर अब प्रार्थी मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र आज श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष बसखारी को आदेशित करने की कृपा की जावे।

3. प्रार्थना पत्र के साथ थाने की आख्या संलग्न है जिसके अनुसार जब जांच उपनिरीक्षक अरूण कुमार किया गया तो आवेदक का कहना है कि जो मैंने पूरी बात अपने प्रार्थना पत्र में दिया है वही कहना है उसके अलावा कुछ नहीं। इस सम्बन्ध में विपक्षीगणों से पूछताछ की गयी तो विपक्षी उमेश कुमार का कहना है कि मैंने अपने मकान के छत की ढलाई जो 900 वर्ग फुट है जिसका कुल रुपये 30,600 रुपये बनता है, आवेदक के पुत्र दयानन्द को ठेका दिया था, जिनके द्वारा मेरे मकान में खुशहाल के साथ मिलकर सैंटरिंग लगाया था, जिनको मैंने कुल 19,000 रुपये दिया था, बाकी रुपये काम पूरा करने के बाद देने की बात हुयी थी। सैटरिंग लगाने के बाद आवेदक के पुत्र को कहीं दूसरी जगह काम मिल गया, वहां पर मिस्त्री का काम करने लगे, कुछ दिन बाद पता चला कि दयानन्द की मृत्यु हार्ट–हटैक से उसके घर पर हो गयी, मेरे मकान का छत पक जाने के बाद खुशहाल पूरा सैंटरिंग उतारकर कहीं दूसरी जगह लगाने के लिये लेकर चला गया, जब काम पूरा हो गया तो मैंने पूरा पैसा भी दे दिया है फिर भी आवेदक द्वारा मुझपे दबाव बनाने के लिये ये प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ देता रहता है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है तत्पश्चात इस सम्बन्ध में विपक्षी खुशहाल से पूछताछ की गयी तो विपक्षी खुशहाल का कहना है कि हम दोनों ने पार्टनरशिप में सैंटरिंग का काम चालू किया था। उमेश के यहा सैटरिंग लगाने के बाद, कुछ दिन बाद दयानन्द की मृत्यु हो गयी तो दूसरी जगह काम मिल जाने के कारण मैंने उमेश के यहां से सैटरिंग हटाकर रामकिशन के यहां लगा दिया था। मैं आधा सामान नन्दलाल को देने के लिये तैयार हूं लेकिन आधा सैटरिंग का सामान लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पूरा सामान चाहिये, बताइये साहब जब हम दोनों लोग बराबर–2 पैसा दिये हैं, सैटरिंग का सामान खरीदने में तो उनको पूरा सामान कैसे दे दूं एवं मुझपे व मेरे परिवार वालों के ऊपर दबाव बनवाने के लिये मेरे घरवालो के खिलाफ भी झूठा प्रार्थना पत्र दे रहे है, जबकि इनके पत्नी से मेरी बात भी हुयी, जिनका कहना है कि उनकी मृत्यु घर पर हार्ट हटैक से हुयी है, फिर भी झूठा इल्जाम हम सब पर लगाया जा रहा है। जांच के क्रम मे ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष बढ़ा चढ़ा कर प्रार्थना पत्र दिया है जो निरस्त करने योग्य है। विपक्षीगण के विरुद्ध दिए गए प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा पर अभिलेखानुसार कोई भी मुकदमा पंजीकृत होना नहीं पाया गया व न ही विवेचना प्रचलित है।

4. प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को अगर देखा जाए तो उसमें घटना की तिथि 16.12.2025 बतायी गई है जिसमें विपक्षी द्वारा आवेदक को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां, जातिसूचक शब्दों से गाली देना तथा जान से मारने की धमकी दिया गया है। शेष विपक्षीगण के द्वारा भी भद्दी भद्दी गालियां व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके दिया जाना व जान से करने की धमकी देना व उसका सेटरिंग का सामान न देने का कथन किया है।

5. मामले में देखा जाये तो जो थाने की आख्या आहूत हुई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षों के मध्य रूपयों व सेटरिंग के सामान के बंटवारे का विवाद है। आवेदक द्वारा विपक्षी उमेश द्वारा कारित की गई घटना का दिनांक तो प्रार्थना पत्र में बताया गया है किन्तु शेष विपक्षीगण द्वारा कब घटना कारित की गई इस संबंध में उसके प्रार्थना पत्र में दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है। थाने की आख्या से प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई अभियोजन पंजीकृत न होने का कथन किया गया है। इस प्रकार मामला

आवेदक द्वारा विपक्षी के यहां सेटरिंग का काम करना व उसके बदले रूपयों के लेन देन का विवाद है। जांच आख्या में विपक्षी द्वारा आवेदक को बकाया रूपया देना कहा गया है तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा सेटरिंग में अपना हिस्सा होना बताया गया है। पत्रावली पर आवेदक द्वारा संविदा शर्तों के बावत कोई कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि पक्षों सेटरिंग का सामान व रूपयों के लेनदेन के विवाद है, जिसे आपराधिक रंग देने हेतु तथा अतिरिक्त न्यायिक दबाव डालने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किया जाना प्रतीत होता है।

6. ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला सिविल प्रकृति का होने के कारण व पक्षकारों के मध्य सेटरिंग का सामान व रूपयों के सम्बन्ध में आपसी विवाद होने के कारण व किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रथमदृष्टया न पाये जाने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–11.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर
जे.ओ.कोड–यू.पी.1874